

1. अर्जुनसिंह पिता छगनसिंह राव निवासी सतदूढियां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

बनाम

—प्रार्थी

1. जयराम पिता रूपलाल गाडरी
2. बाली बेवा रूपलाल गाडरी
3. देवीलाल पिता मगना गाडरी
4. मांगु पिता लालु गाडरी
5. देवीलाल पिता धन्ना गाडरी
6. पिन्दु पिता धन्ना गाडरी ना0बा0 जरिये वादमित्र भाई देवीलाल पिता धन्ना गाडरी।
सर्व निवासी सतदूढियां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:- 10/12/2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षी के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम सतदुढियां पटवार हल्का दोसर तहसील सहाड़ा के बैरुन हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजी संख्या 365 रकबा 0.16हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 27 पर स्थित हैं इसी प्रकार आराजी संख्या 364 रकबा 0.46हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 8 पर स्थित हैं । भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीसंख्या 01 लगायत 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा विपक्षी संख्या 6 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाही गई। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सतदुढियां पटवार हल्का दोसर तहसील सहाड़ा के बैरुन हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजी संख्या 365 रकबा 0.16हे0 व 364 रकबा 0.46हे0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काशत में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/- (चार सौ पच्चास रूपये मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि राशि 450/- (चार सौ पच्चास रूपये मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापूर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10/12/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापूर जिला भीलवाड़ा
(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापूर(भीलवाड़ा)

